

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.

अनवान
वादी -

1. भवानीशंकर पुत्र दयारामदास, जाति महेश्वरी
निवासी चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. पूरणसिंह 2. उत्तमसिंह पि. रूगनाथसिंह 3. उमेदसिंह पुत्र विजयसिंह
4. इन्दरकंवर पत्नि विजयसिंह
5. दलपतसिंह पुत्र विजयसिंह फौत के का.मु. :-
5/1. दशरथकंवर पत्नि दलपतसिंह
जातियान राजपूत, निवासी चौहटन
6. राकेश कुमार पुत्र किशनलाल, जाति ओसवाल, निवासी चौहटन
7. तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण -

वादी वकील - श्री जुगतसिंह सोढ़ा
प्रतिवादीगण वकील - श्री हुकमसिंह गोदारा (प्रतिवादी सं. 1, 2, 5/1)

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 21 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री जुगतसिंह सोढ़ा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री हुकमसिंह गोदारा एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1224/651 रकबा 96.14 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.11.2022 को जारी की गई।



दस्तखत.....
ओहदा.....

मुदाई	रूपया	दें	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प कालतनामा स्टाम्प सबूत पहमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक	सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन
मीजान			मीजा	

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	भवानीशंकर पुत्र दयारामदास, कौम माहेश्वरी, निवासी चौहटन, खातेदार	चौहटन	1224/651	06.00 बीघा	बा.सो.	0.30	हरा
		योग	1	06.00	बा.सो.	0.30	हरा
2	पूरणसिंह 85/907, उत्तमसिंह 85/907 पि. रूगनाथसिंह, उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह 230/907, इन्द्रकंवर पत्नि विजयसिंह 230/907, दलपतसिंह पुत्र विजयसिंह, 242/907 कौम राजपूत राकेशकुमार पुत्र किशनलाल 35/907, कौम ओसवाल, सा. चौहटन खातेदार	चौहटन	1224/651	90.14 बीघा	बा.सो.	4.54	लाल
		योग	1	90.14	बा.सो.	4.54	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथ राम II)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 21/2022

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादी - 1.भवानीशंकर पुत्र दयारामदास, जाति महेश्वरी
निवासी चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.पूरणसिंह 2.उतमसिंह पि.रुगनाथसिंह 3.उमेदसिंह पुत्र विजयसिंह
4.इन्दरकंवर पत्नि विजयसिंह
5.दलपतसिंह पुत्र विजयसिंह फौत के का.मु. :-
5/1. दशरथकंवर पत्नि दलपतसिंह
जातियान राजपूत, निवासी चौहटन
6.राकेश कुमार पुत्र किशनलाल, जाति ओसवाल, निवासी चौहटन
7.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण -

वादी वकील -

श्री जुगतसिंह सोढ़ा

प्रतिवादीगण वकील -

श्री हुकमसिंह गोदारा (प्रतिवादी सं.1, 2, 5/1)



निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :- 17.11.2022

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित एवं प्रतिवादी वकील अनुपस्थित। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वादी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार से जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार फैशला किया जावे।

वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है। अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा चौहटन के खसरा सं. 1224/651 रकबा 96.14 बीघा भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	भवानीशंकर पुत्र दयारामदास, कौम माहेश्वरी, निवासी चौहटन, खातेदार	चौहटन	1224/651	06.00 बीघा	बा.सो.	0.30	हरा
		योग	1	06.00	बा.सो.	0.30	हरा
2	पूरणसिंह 85/907, उत्तमसिंह 85/907 पि. रूगनाथसिंह, उम्मेदसिंह पुत्र विजयसिंह 230/907, इन्द्रकंवर पत्नि विजयसिंह 230/907, दलपतसिंह पुत्र विजयसिंह, 242/907 कौम राजपूत राकेशकुमार पुत्र किशनलाल 35/907, कौम ओसवाल, सा. चौहटन खातेदार	चौहटन	1224/651	90.14 बीघा	बा.सो.	4.54	लाल
		योग	1	90.14	बा.सो.	4.54	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट व नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन